

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/160

परमानन्द आयु 61 वर्ष आत्मज भैरूलाल जाति धाकड निवासी ग्राम जैथल तहसील के० पाटन जिला बून्दी ।

—अपीलान्त

बनाम

जिला वन मण्डल अधिकारी, बून्दी ।


—रेस्पोंडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री विनय सक्सेना, अभिभाषक, अपीलान्त की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोंडन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 16.11.2017

1. अपीलान्त द्वारा उक्त अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के० पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.03.2015 के विरुद्ध पेश की गई है ।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलान्त ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत ग्राम जैथल तहसील के० पाटन जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 328 रकबा 5.14 हैक्टर भूमि में से 1.32 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि पर अपीलान्त पिछले 30-35 वर्षों से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । अप्रार्थी उक्त भूमि से प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है जिसका उसे कोई विधिक अधिकार नहीं है । यदि प्रार्थी को उक्त भूमि से बेदखल कर दिया तो अपूर्णाय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगी ।
3. अतः प्रार्थी के पक्ष में विरुद्ध अप्रार्थी इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रार्थी के कब्जे काश्त में आराजी में अप्रार्थी किसी भी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नहीं करे न ही खड्डे खोदकर जबरन पौधे लगावे ।
4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 24.03.2015 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।



5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलधीन निर्णय दिनांक 24.03.2015 से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्त ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्त स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।
6. अपील अपीलान्त दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।
7. अपीलान्त के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्त का पिछले 30-35 वर्षों से कब्जा काश्त चला आ रहा है । रेस्पोंडेंट का उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है । यदि दौराने वाद रेस्पोंडेंट ने अपीलान्त को उक्त भूमि से बेदखल कर दिया तो अपीलान्त को अपूर्ण्य क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.03.2015 निरस्त फरमाया जावे ।
8. रेस्पोंडेंट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है क्योंकि राजकीय सिवायचक भूमि है जिस पर अपीलान्त द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है जिससे उसे किसी प्रकार के कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । अतः अपील अपीलान्त खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.03.2015 बहाल रखा जावे ।
9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया जिसके अनुसार उक्त वादग्रस्त आराजी राजकीय सिवायचक भूमि है जिस पर अपीलान्त ने अतिक्रमण किया हुआ है और अतिक्रमित भूमि पर अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करना चाहता है । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्त का प्रथमदृष्टया प्रकरण उसके पक्ष में होना साबित नहीं है और न ही सुविधा का संतुलन ही उसके पक्ष में है क्योंकि उक्त भूमि राजकीय सिवायचक भूमि है ।
10. हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।
11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.03.2015 बहाल रखा जाता है ।
12. निर्णय आज दिनांक 16.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।


 (पंकज कुमार ओझा)
 राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा